संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग
कामधेनु भवन, वैशाली नगर, मध्य प्रदेश भोपाल।

Email ID:- dvsmp2007@yahoo.com

क्रमांक 1069 स्था.ब./अ.नि. /2020–21/ भोपाल,दिनांक 01/12/2021

//आदेश//

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3–12 /2013 /1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में जारी दिशा निर्देशानुसार निम्नलिखित आवेदको को विभाग मे प्रगति सहायक/संगणक के रिक्त पद पर वेतनमान रूपये 22100–70000पर प्रतिमाह की दर से एवं इस संबंध मे प्रभावशाली शासन निर्देशो के पालन मे नियमानुसार देय स्वीकृत मँहगाई भत्ते पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनकी उपस्थिति दिनांक से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 (1) एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्र. सी–3–13/2019/3/1/दिनांक 12.12.2019 के तहत तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि मे निर्धारित वेतन पर निम्न सेवाशर्तो के अधीन उनके नाम के समक्ष दर्शाये जिलो मे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

सरल क्र.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1.	श्री मनीष सिंगाडिया	स्व.जॉर्ज सिंगाडिया स.प.चि.क्षे.अधि. जिला झाबुआ	अनु.ज.जाति	संचालनालय,पशुपालन एवं डेयरी विभाग,भोपाल
2.	श्रीमति पूनम पुवार	स्व.श्रीवामनराव पुवार,भृत्य जिला बैतूल	अन्य पि.वर्ग	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐ, जिला रायसेन
3	श्री सतीष पाल	स्व.श्रीसुनील पाल,परिचारक जिला छिंदवाडा	अन्य पि.वर्ग	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐ, जिला बैतूल
4	श्रीमति उषा परते	पत्नी स्व.श्री अजय सिंहपरते, स.प.चि.क्षे.अधि जिला कटनी	अनु.ज.जाति	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐ, जिला जबलपुर
5.	श्री अजय कुमार पवारे	स्व.श्री.टीकाराम पवारे, स.प.चि.क्षे.अधि. जिला बालाघाट	अनु.ज.जाति	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐ, जिला सिंगरौली

1. उपस्थिति के समय निम्नलिखित अभिलेख की मूल प्रति सहित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छाया प्रति अभिलेख में रखने हेतु प्रस्तुत करना होगा।
   - अ. जन्म तिथि हेतु प्रमाण–पत्र।
   - ब. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र।
   - स. स्थायी एवं जाति प्रमाण–पत्र।
2. नियुक्ति पश्चात् प्रस्तुत प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाने अथवा शपथ पत्र में दर्शाये गये

तथ्यों को छिपाये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।

3. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी–3–12 / 2013 / 1 / 3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कंडिका 13.3 के अनुसार चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि नियुक्ति के पश्चात् यदि आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपको दी गई अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
4. उपस्थिति के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी वेतन आहरण किया जा सकेगा।
5. आपकी सेवाये एक माह की अग्रिम सूचना अथवा सूचना के बदले एक माह का वेतन भत्ते दिया जाकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार आप एक माह की सूचना अथवा एक माह का वेतन भत्ते कार्यालय में जमा कर त्यागपत्र दे सकेंगे।
6. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर व जांच में सही पाये जाने पर तथा किसी भी न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति में न्यायालय निर्णय अनुसार बिना पूर्व सूचना के पद से हटाया जा सकेगा।
7. आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का समुचित भरण– पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाय कि इसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
8. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांकएफ–9–3 / 2003 / नियम / चार / भोपाल दिनांक 13.4.2005 के अनुसार राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू रहेगी।
9. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क.3–8–2006–3 / 1 / दिनांक 05.07.2006 मे जारी दिशा निर्देशानुसार आवेदक के परिवार मे 02 से अधिक संतान है जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पशचात् हुआ हो तो वह नियुक्ति के लिये अपात्र होगा
10. परिवीक्षा अवधि सा.प्रशा.विभाग के परिपत्र क.सी–3–13 / 2019 / 3 / 1 / दिनांक 12.12. 2019 निहित प्रावधान अनुसार .में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपैंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपये 22100–70000 देय होगा ।

संबंधित आवेदक अपना उपस्थिति प्रतिवेदन एक माह के अन्दर मय मूल प्रमाण–पत्र सहित कॉलम (5) दर्शयी गई पदस्थापना अनुसार संबंधित उप संचालक को प्रस्तुत कर मूल दस्तावेजों का परीक्षण करायेंगे। एक माह के अन्दर अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(डॉ.आर.के.मेहिया)
संचालक
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
म.प्र.भोपाल

क्रमांक 10770 / स्था.ब. / अ.नि / 2020—21 / भोपाल, दिनांक 01/12/2021

प्रतिलिपि निम्नाकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1 संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं संभाग जबलपुर / भोपाल / रीवा ।

2. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं जिला बैतूल / रायसेन / जबलपुर / सिगरौली की ओर सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रमाण—पत्रों का मूल दस्तावेजों से मिलान करें। सही पाये जाने पर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया। स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उपस्थिति मान्य करें। समस्त आवेदको का चरित्र सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे तथा चरित्र सत्यापन की एक प्रति संचालनालय को प्रस्तुत करे ।

3. उप संचालक,झाबुआ / छिंदवाडा / कटनी / बालाघाट / बैतूल / ।

4. अधीक्षक वित्त / स्थापना ब / सांख्यिकी संचालनालय ।

5. वरिष्ठ / जिला कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन भोपाल / बैतूल / जबलपुर / रायसेन / सिंगरौली ।

6. संबंधित श्री .... पुत्र स्व. श्री ....

7. MIS शाखा संचालनालय ।

संचालक,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
म.प्र.भोपाल